रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3521] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 3521] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3902(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, सिक्किम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, सिक्किम कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i)	श्री एस.टी. लाचुंगपा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) द हिंडन फोरेस्ट रिट्रीट, डीसी कार्यालय के नीचे, सिची बस्ती गंगटोक – 737101, सिक्किम।	- अध्यक्ष ;
(ii)	डॉ. बीना प्रधान, प्राचार्य, नार बहादुर भंडारी डिग्री कालेज, तडोंग, गंगटोक – 737102, सिक्किम।	- सदस्य ;
(iii)	अपर प्राचार्य मुख्य वन संरक्षक/पर्यावरण के मुख्य वन भार साधक वन संरक्षक, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध विभाग, सिक्किम सरकार, देवोंराली, गंगटोक – 737102, सिक्किम।	- सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, सिक्किम उक्त राजपत्र अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा।

4. प्राधिकरण, सिक्किम इस अधिसूचना द्वारा सिक्किम सरकार के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा।

5. प्राधिकरण, सिक्किम की सहायता के उद्देश्य से, केंद्रीय सरकार सिक्किम राज्य से परामर्श करके, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, सिक्किम कहा गया है) का गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) श्री एच.पी.प्रधान, - अध्यक्ष ;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त)
सरिता निवास, लोवर अरिथांग,
गंगटोक- 737101, सिक्किम।

(ii) डॉ. भरत चन्द्र बशिष्ठ, - सदस्य ;
अपर निदेशक,
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग,
सिक्किम सरकार,
विज्ञान भवन, देवराली,
गंगटोक- 737102, सिक्किम।

(iii) श्री टी शेरिंग, टीअशि, (सेवानिवृत्त) - सदस्य ;
प्रधान निदेशक, खान, खनिज और भू-विज्ञान विभाग, टीअशि भवन,
लोवर पानी हाउस, अपर टडांग,
गंगटोक- 737102, सिक्किम।

(iv) डॉ. सत्य दीप छेत्री, - सदस्य ;
रसायनिक विभाग,
सिक्किम राजकीय कालेज, टडांग,
गंगटोक- 737102, सिक्किम।

(v) डॉ. दिनेश अग्रवाल, - सदस्य ;
वैज्ञानिक 'डी' और भारसाधक,
भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, गंगटोक

(vi) श्री प्रधुर्न्न श्रेष्ठ, - सदस्य ;
सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य इंजीनियर (सिविल),
सिक्किम सरकार,
इंद्रा-कृष्णा निवास, 6वां मील, टडांग,
सैमदुर-737102, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम।

(vii) श्री डी.आर. छेत्री, - सदस्य ;
अपर मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(अपर पुलिस अधीक्षक),
अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, पुलिस विभाग,
सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम ।

(viii) श्री बी.के.छेत्री, - सदस्य ;
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम,
वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन विभाग,
देवराली, गंगटोक- 737102, सिक्किम ।

(ix) वन संरक्षक (पर्यावरण)/निदेशक/अपर निदेशक, - सचिव ।
पर्यावरण,
वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन विभाग,
देवराली, गंगटोक- 737102, सिक्किम ।

6. एसईएसी, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी, सिक्किम उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्रक्रियाओं का अनुकरण करेगी ।

8. एसईएसी, सिक्किम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

9. सिक्किम राज्य सरकार, प्राधिकरण सिक्किम और एसईएसी, सिक्किम के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान-सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, सिक्किम के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी, सिक्किम को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, सिक्किम राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/99/2007-आईए-II(I)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (here after in this notification referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Sikkim (hereinafter in this notification referred to as the Authority, Sikkim) comprising of the following Members, namely:—

(i). Shri S.T. Lachungpa, -Chairman;
Indian Forest Service (Retired)
The Hidden Forest Retreat, Below DC Office,
Sichey Busty Gangtok - 737101, Sikkim.

(ii). Dr. Bina Pradhan, -Member;
Principal,
Nar Bahadur Bhandari Degree College, Tadong,
Gangtok - 737102, Sikkim.

(iii). Additional Principal Chief Conservator of Forest/Chief Conservator of Forest-In-charge of Environment, -Member-Secretary.
Forest, Environment and Wildlife Management Department,
Government of Sikkim, Deorali,
Gangtok - 737102, Sikkim.

2. The Chairman and Members of the Authority, Sikkim shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Sikkim shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Sikkim shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Sikkim.

5. For the purpose of assisting the Authority, Sikkim, the Central Government in consultation with the State Government of Sikkim, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter in this notification referred to as SEAC, Sikkim) comprising of the following Members, namely:—

(i). Shri H. P. Pradhan, -Chairman;
Indian Forest Service (Retired)
Sarita Niwas, Lower Arithang,
Gangtok -737101, Sikkim.

(ii). Dr. Bharat Chandra Basistha, -Member;
Additional Director,
Science, Technology and Climate Change Department, Government of Sikkim,
Vigyan Bhawan, Deorali,
Gangtok -737102, Sikkim.

(iii). Shri Tshering Tashi, -Member;
(Retired) Principal Director, Department of Mines, Minerals and Geology,
Tashi Building, Lower Pani House, Upper Tadong, Gangtok-737102, Sikkim.

(iv). Dr. Satya Deep Chettri, -Member;
Department of Chemistry,
Sikkim Government College, Tadong,
Gangtok - 737102, Sikkim.

(v). Dr. Dinesh Agarwal, -Member;
Scientist 'D' and In charge,
Botanical Survey of India, Gangtok.

(vi). Shri Pradhurnna Shrestha, -Member;
Retired Principal Chief Engineer (Civil),
Government of Sikkim,
Indra-Krishna Niwas, 6th Mile, Tadong,
Samdur – 737102, Gangtok, East Sikkim.

(vii). Shri D. R. Chettri, -Member;
Additional Chief Fire Officer
(Additional Superintendent of Police),
Fire and Emergency Services, Police Department, Government of Sikkim,
Gangtok, Sikkim.

(viii). Shri B. K. Chetttri, -Member;
Senior Scientific Officer,
State Pollution Control Board, Sikkim,
Department of Forest, Environment and Wildlife Management, Deorali,
Gangtok - 737102, Sikkim.

(ix). Conservator of Forest (Environment)/Director/Additional Director, -Secretary.
Environment,
Forests, Environment. and Wildlife Management Department,
Deorali, Gangtok - 737102, sikkim.

6. The Chairman and Members of SEAC, Sikkim shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Sikkim shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Sikkim shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Sikkim shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Sikkim and SEAC, Sikkim and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Sikkim and SEAC, Sikkim shall be paid as per the rules of the State Government of Sikkim.

[F. No. J-11013/99/2007-IA-II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.11.02 17:07:05 +05'30'